बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 242319 दिनांक :- 14.08.15

सं0सं0-3/स्था0-1-52/15

प्रेषित,

श्री राकेश कुमार,
तत्कालीन, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, नगरा, सारण,
पता- कुंवर सिंह कालोनी, वार्ड नं0-03,
नियर टी0 वी0 टावर, बाजार समिति बक्सर, बक्सर 802101

विषय :- **अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-204680 दिनांक 10.10.14 द्वारा आपका पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरा, सारण के पद पर किया गया था । उक्त अधिसूचना के अनुपालन में आपके द्वारा योगदान कर स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए आप कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें । आपके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यहित में विभागीय अधिसूचना सं0-240787 दिनांक 04.08.15 द्वारा अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया । तत्पश्चात आपके द्वारा दिनांक 12.08.15 को विभाग में योगदान किया गया ।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकार से अवकाश की स्वीकृति के बिना कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोतक है ।

अत: उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय ।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
(प्रदीप कुमार) 13/8/15
सचिव

आवेदन सं-5566 sec-2/AN